संख्या– 16/बी.1–16/2018 –

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

राधेश्याम साह
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय आर0बी0टी0एस0 होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक –

विषय :– **शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–102 होमियोपैथी–0001 होमियोपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर विपत्र कोड–20–2210051020001 मांग पत्र संख्या–20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से छात्रवृति/वजीफा मद में कुल 60,00,000/–(साठ लाख) रूपये मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2018–19 के लिए कुल – 60,00,000/–(साठ लाख) रूपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. वित्त विभाग के परिपत्र सं0 –2561/वि0(2) दिनांक –17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या – 354/वि0 दिनांक 28.03.2018 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3244/वि0 दिनांक–04.05.2018 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग सं0 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–102 होमियोपैथी–0001 होमियोपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर विपत्र कोड–20–2210051020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के वित्त विभाग के परिपत्र 868/वि0 दिनांक–10.12.2018 द्वारा द्वितीय अनुपूरक आगणन के बजट उपबंध से की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय आर0बी0टी0एस0 होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर तथा नियंत्री पदाधिकारी, प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक मे देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे0चि0) दिनांक – 12.2.99 एवं 801 (दे0चि0) दिनांक 28.11.2002 एवं समय–समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन एवं उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

10. अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में उपबंधित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उसमें निहित शर्त्त के अनुसार ही किया जायेगा।

11. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह फरवरी 2019 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जायगा।

12. वित्तीय वर्ष 2018–19 का अद्यतन व्यय विवरणी के साथ पूरे वित्तीय वर्ष का व्यय आकलित कर मांग पत्र भेजी जाय, तथा प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक नियमित रूप से व्यय विवरणी भी भेजी जाय।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही हैं।

14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप सं0– 28 ब (आ. चि.) पटना, दिनांक – 28.12.2018

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी,/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, स्वा0 के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

E:\awantan\Forwarding\Forwarding 2018-19.docx

0001 होमियोपैथिक कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, वित्तीय वर्ष 2018–19							
क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	01 01	40500000	40500000	0	40500000	0
2	जीवन यापन भत्ता	01 03	4500000	4500000	0	4500000	0
3	मकान किराया भत्ता	01 04	4028000	4028000	0	4028000	0
4	परिवहन भत्ता	01 05	733000	733000	0	733000	0
5	चिकित्सा भत्ता	01 06	624000	624000	0	624000	0
6	अन्य भत्ता	01 07	11000	11000	0	11000	0
	योग (वेतन एवं भत्ता)		**50396000**	**50396000**	**0**	**50396000**	0
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01	0	0	0	0	0
8	यात्रा व्यय	11 01	150000	150000	0	150000	0
9	कार्यालय व्यय	13 01	1500000	1500000	0	1500000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख–रखाव	13 02	10000	10000	0	10000	0
11	दूरभाष	13 03	10000	10000	0	10000	0
12	विद्युत प्रभार	13 04	1000000	1000000	0	1000000	0
13	वर्दी पोशाक	13 06	40000	40000	0	40000	0
14	किराया म0 एवं कर	14 01	300000	300000	0	300000	0
15	प्रशिक्षण व्यय	20 03	0	0	0	0	0
16	सामग्री एवं पूर्तियां	21 01	1000000	1000000	0	1000000	0
17	दवा भंडार	21 02	2000000	2000000	0	2000000	0
18	आहार एवं पथ्य	21 03	500000	500000	0	500000	0
19	लघु कार्य	27 01	1000	1000	0	1000	0
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत	27 02	5000000	5000000	0	5000000	0
21	संविदा सेवायें	28 02	21180000	21180000	0	21180000	0
22	छात्रवृत्ति /वजीफा	34 01	11184000	5184000	6000000	11184000	0
23	मशीन एवं उपस्कर	52 01	1000000	1000000	0	1000000	0
	योग		**95271000**	**89271000**	**6000000**	**95271000**	**0**

(साठ लाख) रूपये मात्र

28 'ब' (आ. चि.)
28.12.2018

सरकार के विशेष सचिव